

22.11.18

अभियुक्त रतन पासवान की और से नूतन शक्ति पत्र के साथ आवेदनपत्र सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी कॉपी A.P.O को दी गयी। आवेदन मंजूरित किया गया है। वार्ड पुकार पर अभियुक्त उपस्थित हुये। अभियुक्त को न्यायिक अभिज्ञा में लिया जाता है।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को, सुना। अभियुक्त के विद्वान अधिकवक्ता का कथन है कि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह कि अभियुक्त की और से डिली वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल गरी किया गया है।

Continued